इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 262] भोपाल, शनिवार, दिनांक 29 जून 2019—आषाढ़ 8, शक 1941

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 जून 2019

क्र. एफ-बी-04-03-2019-2-पांच (09).—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) की धारा 78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-बी-7-(बी) 13-2014-2-पांच (27), दिनांक 8 अगस्त 2014 में निम्नलिखित संशोधन करती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 79 द्वारा अपेक्षित किए अनुसार उसे प्रकाशित करती है:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में 'रजिस्ट्रीकरण तथा अन्य संबंधित फीस की सारिणी' में अनुच्छेद एक के स्थान पर, निम्नलिखित अनुच्छेद स्थापित किया जाए :—

अनुच्छेद—एक

यथा-मूल्य दर से प्रभार्य दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण हेतु—

(एक)	अचल संपत्ति के (क) विक्रय, या (ख) पट्टे के अंतरण, या (ग) दान, जो परिवार के सदस्यों से भिन्न के पक्ष में हो, की दशा में.	भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 में यथापरिभाषित "बाजार मूल्य गाइडलाइन" के आधार पर संगणित मूल्य का 3 प्रतिशत.
(दो)	किसी अन्य मामले में	उस रकम का 0.8 प्रतिशत जिस पर स्टाम्प शुल्क प्रभार्य है.

टिप्पणी 1. यथा-मूल्य स्टाम्प शुल्क से प्रभार्य मुख्तारनामा के लिए, यथा-मूल्य रजिस्ट्रीकरण फीस प्रभारित की जाएगी. उसी संव्यवहार से संबंधित रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत किए गए पश्चातवर्ती हस्तांतरण विलेख पर शुल्क का अंतर, केवल न्यूनतम एक हजार रुपए के अध्यधीन रहते हुए उद्गृहीत किया जाएगा.

टिप्पणी 2. कब्जा सहित विक्रय, बंधक आदि के किसी ऐसे करार के लिए, जिसमें यथा-मूल्य स्टाम्प शुल्क प्रभारित किया गया है, यथा-मूल्य रजिस्ट्रीकरण फीस प्रभारित की जाएगी. कब्जा रहित विक्रय के करार के लिए यथा-मूल्य रजिस्ट्रीकरण फीस प्रभारित की जाएगी. उसी संव्यवहार से संबंधित, रजिस्ट्रीकरण के लिए पश्चातवर्ती रूप से प्रस्तुत किए गए हस्तांतरण, बंधक आदि के विलेख पर शुल्क का अंतर, न्यूनतम एक हजार रुपए के अध्यधीन रहते हुए उद्गृहीत किया जाएगा.

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 जुलाई 2019 से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 29 जून 2019

क्र. एफ-बी-04-03-2019-2-पांच (09).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुक्रम में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ-बी-04-03-2019-2-पांच (09), दिनांक 29 जून, 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

Bhopal, the 29th June, 2019

No. B-4-03-2019-2-V (09).—In exercise of the powers conferred by Section 78 of the Registration Act, 1908 (No. 16 of 1908), the State Government, hereby, makes the following amendment in this Departmen's Notification No. F B-7 (B) 13-2014-2-V dated 8th August, 2014 and publishes the same as required by Section 79 of the said Act, namely:—

AMENDMENT

In the said Notification, in the Table of registration and other related fees for article I, the following article shall be substituted, namely:—

"ARTICLE—I

For registration of the documents chargeable at ad-valorem rate—

(i) In case of (a) sale, or (b) transfer of lease, or (c) gift in favor of other than family member, of immovable property.	3 percent of the value calculated on the basis of "market value guideline" as defined in Indian Stamp Act, 1899.
(ii) In any other case	0.8 percent of the amount on which stamp duty is chargeable.

Note 1. For power of attorney chargeable with ad-valorem stamp duty, an advalorem registration fee shall be charged. A difference of fee shall only be levied on the deed of conveyance etc. subsequently tendered for registration relating to the same transaction, subject to a minimum of rupees one thousand.

Note 2. For an agreement to sale with possession, mortgage etc. wherein stamp duty is charged ad-valorem, an ad-valorem registration fee shall be charged. For an agreement to sale without possession an ad-valorem registration fee shall be charged. A difference of fee shall only be levied on the deed of conveyance, mortgage etc. subsequently tendered for registration relating to the same transaction, subject to a minimum of rupees one thousand.

2. This notification shall come in to force from 1st July, 2019.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
S. D. RICHHARIA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 29 जून 2019

क्र. एफ-बी-04-03-2019-2-पांच (10).—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) की धारा 80-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, कुटुम्ब के सदस्यों के पक्ष में निष्पादित चल संपत्ति के दान की लिखत पर प्रभार्य पंजीयन शुल्क को संशोधित करती है तथा इसे अधिकतम रु. 100 के अध्यधीन करती है.

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 जुलाई 2019 से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 29 जून 2019

क्र. एफ-बी-04-03-2019-2-पांच (10).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुक्रम में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ-बी-04-03-2019-2-पांच (10), दिनांक 29 जून, 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

Bhopal, the 29th June, 2019

No. B-4-03-2019-2-V (10).—In exercise of the powers conferred by Section 80-B of the Registration Act, 1908 (No. 16 of 1908), the State Government, hereby, amends the Registration fees chargeable on the instrument of gift of moveable property executed in favour of family members and makes it subject to a maximum of Rs. 100.

2. This notification shall come in to force from 1st July, 2019.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
S. D. RICHHARIA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 29 जून 2019

क्र. एफ-बी-04-03-2019-2-पांच (11).—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) की धारा 80-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, ऐसी लिखत, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपनी पत्नि एवं/या अपनी पुत्री/पुत्रियों का नाम अपनी संपत्ति में सहस्वामी के रूप में सम्मिलित करता है/करती है, पर प्रभार्य रजिस्ट्रीकरण शुल्क में संशोधन करती है तथा इसे अधिकतम रु. 100 के अध्यधीन करती है.

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 जुलाई 2019 से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 29 जून 2019

क्र. एफ-बी-04-03-2019-2-पांच (11).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुक्रम में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ-बी-04-03-2019-2-पांच (11), दिनांक 29 जून, 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

Bhopal, the 29th June 2019

No. B-4-03-2019-2-V (11).—In exercise of the powers conferred by Section 80-B of the Registration Act, 1908 (No. 16 of 1908), the State Government, hereby, amends the Registration fees chargeable on the instrument by which a person includes the name of his wife and/or daughter (s) as co-owner in his/her property and makes it subject to a maximum of Rs. 100.

2. This notification shall come in to force from 1st July, 2019.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
S. D. RICHHARIA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.